

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—39 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. नफादीन पुत्र मोती नि० धनावा थाना परसपुर जनपद के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—259/20, 02. रिकू लाल पुत्र बसंत लाल नि० धनावा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—260/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राम तीरथ चौहान पुत्र गोली चौहान नि० लोनियन पुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—267/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. पवन सिंह पुत्र स्व० सहदेव नि० खेमपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—381/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राम बरन पुत्र घुंगन नि० धर्मदासपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—332/20, 02. उमेश पुत्र राम सेवक सोनकर नि० विश्नोहरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—334/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**05. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. गंगा राम पुत्र स्व० देववीर नि० पण्डित परसिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—267/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**06. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. कन्तू यादव पुत्र मातादीन नि० काशीपुर थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—343/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**07. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. नितेश सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह नि० केशवपुर पहड़वा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—671/20, 02. दयाराम पुत्र हीरा नि० नेपाल पुरवा तिराहा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—672/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**08. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. हौसिला पुत्र राम आसरे नि० करमा पाठक थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—371/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## गैरइरादतन हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने गैरइरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्त बृजेश पाण्डेय पुत्र मोहरमणि पाण्डेय नि० पण्डितपुरवा मौजा रामपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक में पंजीकृत मु०अ०सं०—310/20, धारा 304.323 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 06.09.2020 को आपसी विवाद के चलते अपने पिता मोहरमणि को मारा—पीटा था जिससे मोहरमणि की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी श्री अजय कुमार पाण्डेय पुत्र मोहरमणि पाण्डेय द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## अवैध मादक पदार्थ व नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. प्रदीप सिंह पुत्र दानपाल सिंह नि० ग्राम गोरछान पुरवा मैटहा मौजा विशुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—262/20, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

02. मु०अ०सं०—263/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 220 टेबलेट अल्प्रासेफ।

02. 01 अदद नाजायज चाकू।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 09.09.2020 को थाना परसपुर के उ०नि० अनिरुद्ध यादव मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर नहर के पास से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 220 अल्प्रासेफ की टेबलेट व 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया। अभियुक्त को थाना परसपुर में एन०डी०पी०एस० एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० अनिरुद्ध यादव।

02. हेड का० रामकुमार सिंह।

## गैंगेस्टर एक्ट के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. हनुमान निषाद पुत्र अयोध्या नि० मल्लाहन पुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

02. लक्ष्मण निषाद पुत्र अयोध्या नि० मल्लाहन पुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

03. लालबाबू पुत्र इंदल नि० मल्लाहन पुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—284/20, धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था।

जिसके क्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त वांछित 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज संजय कुमार दुबे।
02. व0उ0नि0 चितवन कुमार।
03. उ0नि0 प्रभुनाथ यादव।
04. हेड का0 रमेश चन्द्र गुप्ता।
05. का0 मनोज कुमार।
06. का0 श्रवण कुमार।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 09.09.2020

थाना खरगूपुर ने 02 अदद अवैध तमंचा, 03 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद मोटरसाईकिल के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. नीरज सिंह पुत्र प्रमोद सिंह नि0 अनभुला वजीरगंज थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. शिवम सिंह पुत्र बनवीर सिंह नि0 हतवा हल्लिया हरैया जनपद बस्ती।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—161/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—162/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 207 एम0वी0एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।
03. 01 अदद मोटरसाईकिल।
04. रू0 4500/— नगद।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 09.09.2020 को थाना खरगूपुर के व0उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति में रवाना थे कि हनुमान गढ़ी चौराहे पर मोटरसाईकिल में 02 व्यक्तियों को संदिग्ध दिखने पर रोकटोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त नीरज सिंह के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व अभियुक्त शिवम सिंह के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व 4500 रू0 नगद बरामद हुआ। अभियुक्तगणों को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. व0उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय।
02. उ0नि0 धर्मराज।
03. का0 शंशाक शेखर यादव।
04. का0 मनोज कुमार यादव।

**सराहनीय कार्य**  
**दिनांक 09.09.2020**  
**पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा**

**माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि से रंगदारी मांगने व धमकी देने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—**

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. मनीष कुमार मौर्या पुत्र रामगोपाल नि० तुलसीनगर बख्सीरिया टोला थाना को० अयोध्या जनपद अयोध्या।
02. लवकुश यादव पुत्र बाबूराम यादव नि० टेढी पुलिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

**अनावरित अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—371/20, धारा 386.506.507.120बी.419.420.201 भादवि व 66 आई०टी०एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 02 अदद मोबाइल।

**संक्षिप्त विवरण—**

दिनांक 05.09.2020 को वादी श्री वेद प्रकाश दुबे (प्रतिनिधि माननीय मंत्री समाज कल्याण उ०प्र० सरकार) पुत्र श्री देवीप्रसाद दुबे नि० नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के द्वारा सूचना दी गयी कि उनसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल से पैसे की रंगदारी मांगी गयी तथा ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबगंज में उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने घटना का शीघ्र अनावरण करने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज को दिये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से इलेक्ट्रानिक व अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

01. प्रभारी नवाबगंज मय टीम।